संशोधित अनुमान, 2004-2005

वर्ष 2004-2005 के लिए व्यय के संशोधित अनुमान में बजट अनुमानों की तुलना में 4,703 करोड़ रुपए की निवल कमी दर्शायी गई है जिसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के प्रति देयताओं के पुनर्भुगतान के मद में 32,665 करोड़ रुपे का व्यय शामिल नहीं है, जिसे राज्य ऋण अदला-बदली स्कीम के अंतर्गत प्राप्तियों से प्रतिसंतुलित किया गया है। जहां आयोजना-भिन्न व्यय जिसमें एनएसएसएफ के प्रति देयताओं का पुनर्भुगतान शामिल नहीं है, में 3,500 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है वहीं आयोजना व्यय में 8,203 करोड़ रुपए की कमी हुई है। जिन प्रमुख मदों में घट-बढ़ हुई है उन्हें नीचे दर्शाया गया है :–

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-05	संशोधित 2004-05	घट-बढ़
आयोजना-भिन्न			
1. ब्याज संदाय	129500	125905	(-) 3595
2. उर्वरकों पर सब्सिडी	12662	15662	(+) 3000
3. पेंशन	15928	18338	(+) 2410
4. राज्यों को पेंशन आयोजना-भिन्न अनुदान	18783	14144	(-) 4639
5. राज्यों को आयोजना-भिन्न ऋण	38	643	(+) 605
6. अन्य संचार सेवाएं	228	3230	(+) 3002
7. पुलिस	9940	10542	(+) 602
8. एनसीसीएफ में अतिरिक्त अंतरण/ आपदा राहत हेतु राज्यों को निर्मुक्तियां	...	1220	(+) 1220
9. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण	1509	1809	(+) 300
10. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	143651	144246	(+) 595
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	**332239**	**335739**	**(+) 3500**
आयोजना			
1. केन्द्रीय आयोजना	87886	82529	(-) 5357
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	57704	54858	(-) 2846
जोड़ (आयोजना) व्यय	**145590**	**137387**	**(-) 8203**

आयोजना-भिन्न

1. कमी मुख्यतया बाजार उधारों का प्रत्याशित से कम आश्रय लेने और उच्च लागत वाले परिपक्व ऋणों का पुनर्निर्धारणीय न्यून लागत वाले नए ऋणों के रूप में करने के कारण।
2. मुख्यतया उर्वरकों की निविष्टि लागतों में वृद्धि के कारण।
3. (i) दिनांक 1 अप्रैल 2004 से मूल वेतन के साथ वेतन के 50 प्रतिशत तक महंगाई भत्ते के विलयन के प्रभाव और (ii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में आमेलित दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों हेतु प्रावधान के कारण।
4. कमी स्थानीय निकायों को अनुदानों, उन्नयन विशेष समस्या अनुदानों और राजकोषीय प्रोत्साहन निधि सुविधा के अंतर्गत अनुदानों की धनराशियों के कम उपयोग के कारण।
5. राज्यों को मध्यावधिक ऋण सहायता के कारण।
6. वृद्धि (i) ग्रामीण टेलीफोनों के लिए बीएसएनएल को सहायता और (ii) सार्वभौम सेवा बाध्यता निधि को वृद्धित अंतरण के कारण है।
7. पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना की निधि पोषण पद्धति में परिवर्तन के कारण जिसके अंतर्गत राज्यों को नकद व वस्तु के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
8. वृद्धि राज्यों को आपदा राहत के लिए सहायता के कारण हुई है।
9. अतिरिक्त प्रावधान मुख्यतया वेतन, पारिश्रमिक और वैधानिक देयों के भुगतान हेतु सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए है।

आयोजना

1. समग्र कमी कृषि और सहकारिता, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता (सर्व शिक्षा अभियान), ग्रामीण विकास (राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम व ग्रामीण आवासन), विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि के अंतर्गत वृद्धि के निवल प्रभाव और विद्युत, सड़क परिवहन व राज मार्ग, अवसंरचना विकास हेतु सहायता, आदि के अंतर्गत कमी के कारण है।
2. समग्र कमी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, त्वरित सिंचाई लाभ योजना और मध्यान्ह भोजन योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा सामान्य केन्द्रीय सहायता, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत कटौती के कारण हुई है।